List of OBCs for the purpose of reservation in civil posts and services under Government of India. The information will be laid on the Table of the House after it becomes available.

ईसाइयों के लिए कल्याण योजना

1786. श्रीमती सत्या बहिन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दलित ईसाइयों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भांति उन्हें भी कब तक लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना को कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिल नाडु से संबंधित अनुसूचित जाति मूल के इसाइयों को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 8 सितम्बर, 1993 से अन्य पिछड़े वर्गों (ओ० बी०सी०) की तरह आरक्षण हेतु पात्र बनाया गया है। वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम से आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों के मामले में लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म कोई बाधा नहीं है। अनुसूचित जाति के मूल इसाईयों को अनुसूचित जाति को प्राप्त लाभ प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

Reservations for Admission of OBCs into Educational Institutions

1787. SHRI. V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of WELFARE be pleased to state etc.

(a) whether Government are aware that the reservation for O.B.Cs. is only for the jobs and not for the educational institutions ;

(b) if so, what steps are being taken to pro* vide reservations for admission of O.B.Cs into the educational institutions; and

(c) what steps are being taken by Government for reservation of seats in the educational institutions for the O.B.Cs in the absence of any recommendation for the reservation of seats in the educational institutions for the O.B.Cs?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no provision for extension of reservation for O.B.Cs. for admission inEducational Institutions.

Construction of Dwelling Units in M. P.

1788. SHRI DILIP SINGH JUDEV :Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) The amount allocated to Madhya Pradesh and Gujarat for constructing dwelling units for scheduled castes and scheduled tribes under the New Industrial Policy ;

(b) if so, the States where such programmes are being implemented :

(c) whether any machinery has been set-up to ensure that people of rural and tribal areas are actually getting the benefits of these programmes ;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the number of such beneficiaries dis trict-wise in M .P, ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) to (e) Information is being collected and will belaid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश की आदिवासी और पिछड़ी जातियों के युवकों का विकास

1789. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की आदिवासी और पिछड़ी जातियों से संबंधित युवकों के क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई

नई योजना के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान आवंटित की गई धनराशि का जिले वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कथित प्रयोजन हेतु उक्त धनराशि का उपयोग किस सीमा तक किया गया; और

(ग) उपरोक्त उद्देश्य के लिए 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है तथा इसका जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछड़ी किस्म की जनजातियों के युवकों के बीच युवा-कार्यकलापों को बढ़ावा देने संबंधी विशेष योजना के अंतर्गत 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 प्रत्येक वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश के लिए कुल बजट का प्रावधान 1.00 करोड़ रूपये था। बजट में किसी राज्य अथवा किसी जिले के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया।

(ख) उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बजट आवंटन 1.00 करोड़ रूपये का है लेकिन राज्यवार अथवा जिलावार कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया है।

विवरण

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	के दौरान उपयोग की गई धनराशि		
	1991-92	1992-93	1993-94 (फरवरी, 94 तक)
1. आन्ध्र प्रदेश	2.28	.21	1.81
2. अरुणाचल प्रदेश	.38	.13	.49
3. बिहार	.54	.11	–
4. दिल्ली	6.82	3.46	4.38
5. गुजरात	7.16	1.79	5.05
6. हिमाचल प्रदेश	–	3.30	–
7. जम्मू और कश्मीर	1.36	.39	–
8. कर्नाटक	.27	.09	–
9. केरल	–	–	.11
10. मध्य प्रदेश	.56	4.35	3.40
11. महाराष्ट्र	1.18	1.03	.55
12. मणिपुर	–	.76	.76
13. उड़ीसा	5.09	4.62	1.68
14. राजस्थान	.56	–	.30
15. तमिलनाडु	2.54	.05	–
16. त्रिपुरा	–	.36	.32
17. उत्तर प्रदेश	2.65	.30	1.74
18. पश्चिम बंगाल	.07	.45	.80